न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 04/2012

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. नगा पुत्र कला 2. जमू बेवा पुनीया जातिगण रबारी निवासीगण थलवाड़ तहसील सायला जिला जालोर		1. मेथी पत्नी सोना जाति रबारी निवासी थलवाड़ तहसील सायला 2. मारवाड़ ग्रामीण बैंक, धानसा तहसील भीनमाल 3. एस0बी0बी0जे0 शाखा सायला 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सायला

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 13.12.18

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2010 बअनवान मैथी बनाम जमू वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी में कला पुत्र अना का 1/2 हिस्सा था तथा सोना पुत्र लाला का 1/2 हिस्सा था। उसी अनुसार पक्षकारान् काबिज काश्त है। कला फौत होने पर कला के स्थान पर पुनीया व नगा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया एवं पुनिया फौत होने पर उसके वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट संख्या 2 का नाम दर्ज किया गया। उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपना 1/2 हिस्सा घोषित कराने एवं उक्त भूमि में अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से जवाबदावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत किया। चूंकि पूर्व में वाद सहायक कलक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो कालान्तर में सहायक कलक्टर सायला सृजित होने के कारण वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में न तो अपीलाण्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को सूचित किया एवं न ही अपीलाण्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई, जो विधि विरूद्ध है। वास्तविक रूप से जैर अपील विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा ही दर्ज है, किन्तु न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा घोषित किया है एवं शेष 1/2 हिस्से की भूमि अपीलाण्ट के हक में रखी गई है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते है, जिन्हे कानून का ज्ञान नहीं है। जब पत्रावली जालोर न्यायालय से सायला स्थानान्तरित होने की अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी एवं अपीलाण्ट बीमार होने के कारण अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में नहीं रहा। इस कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण को विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट्स का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति सोना का 1/2 हिस्सा था। दौराने सेटलमेन्ट कला फौत होने पर उसके वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, तब अपीलाण्ट द्वारा 1/3 – 1/3 हिस्से का अनुतोष चाहने के कारण राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया, जो विधि विरूद्ध था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया, उन तथ्यों के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा पर्याप्त राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत किए। पूर्व में प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर के समक्ष विचाराधीन था, जो कालान्तर में सहायक कलक्टर सायला के न्यायालय में स्थानान्तरित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान् एवं उनके अधिवक्ता को सूचित भी किया गया था, किन्तु अपीलाण्ट बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी में स्वयं का 1/2 हिस्सा घोषित कराने एवं उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी से रोकने हेतु अपीलाण्ट को जरिये स्थाई व्यादेश के पाबन्द कराने का निवदेन किया। मूलतः उक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर में समक्ष पंजीबद्ध हुआ,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जिसमें अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति प्रस्तुत करते हुए दिनांक 05.10.2009 को जवाबदावा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात दिनांक 18.07.2011 को प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर अनुतोष सहित कुल 4 तनकीयात कायम की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से मुख्य परीक्षण में स्वयं मैथी पत्नी सोना परीक्षित हुई एवं दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श–1 से प्रदर्श–13 प्रस्तुत किए। अपीलाण्ट की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा शहादत के स्तर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर से न्यायालय सहायक कलक्टर सायला में कब स्थानान्तरित हुआ, यह पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट ही नहीं होता है तथा यह भी किसी भी रूप में प्रकट नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर अपीलाण्ट अथवा उनके अधिवक्ता को किसी प्रकार से सूचित किया गया हो। प्रकरण में सिलसिलेवार हुई कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया एवं न ही अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को विधिक रूप से consider किया गया। इन समस्त तथ्यों के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2010 बअनवान मैथी बनाम जमू वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विनिश्चय अंकित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर